145

न्यायालय श्रीमान् [redacted] राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

राजस्व निगरानी कमांक– निव-654-II-16 सन्–2016

रतिका देवी पत्नी हर्षवर्धन सिंह निवासनी ग्राम गौरिहार
तहसील गौरिहार जिला छतरापुर म0 प्र0 –– आवेदिका

बनाम

1– रानी सरोज कुमारी बेवा प्रताप सिंह जू देव निवासनी कमला नगर
प्रोफेसर कॉलोनी एफ0 –62 आगरा–4 तहसील व जिला आगरा उ0 प्र0

2– हर्षवर्धन सिंह तनय स्व0 भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गौरिहार
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0 प्र0 –– अनावेदकगण

विषय–निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर के रा0 अपील कमांक– 79/अपील/14–15 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 11/02/2016 से परिवेदित होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित विनय सादर प्रस्तुत करती है:–

1– यह कि भूमि ख0 नं0– 176/2, 177 ,2174,2818/2/1 रकबा कमशः– 0.800हे0, 3.420हे0, 0.231हे0, 0.970हे0, स्थित मौजा गौरिहार तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0 प्र0 की भूमि गैर निगरानी कर्ता कमांक–1 के स्वामित्व की भूमि थी। गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 बीमार रहती है इस कारण उसनें अपीलाधीन भूमि एवं अपनी अन्य कृषि भूमियों की देखरेख करने के लिये एवं भूमि को बिकृय करने के लिये एवं मुकदमों में पैरवी करने के लिये गैरनिगरानीकर्ता कमांक–2 श्री हर्षवर्धन सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड मृख्त्यारनामा दिनांक– 22/05/1993 को लेख करा दिया था। तब से गैर निगरानीकर्ता कमांक–2 अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर कास्त करने लगा था। तथा गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 के मौखिक आदेश एवं पत्र के माध्यम से भूमि बिकृय करने को कहा था उसके पालन में गैर निगरानीकर्ता कमांक–2 नें गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 की ओर से –13 लोगों को मुख्त्यारनामा के आधार पर रजिस्टर्ड बिकृय–पत्र निष्पादित कराये थे। तथा गैर निगरानीकर्ता कमांक–2 की ओर से इन –13 लोगों को मौके पर आधिपत्य सौपा था जो आज भी काबिज है। तथा इन सबका प्रतिफल गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 को दिया था।

क्रमशः––3–– पर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 657–दो/16 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–10–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी , लवकुशनगर द्वारा प्र0क0 अपील 79/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 11–2–16 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश तथा अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करने के विरूद्ध है । प्रकरण में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी पहले से थी किंतु इस संबंध में उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई ठोस आधार या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे उनके तर्कों की पुष्टि हो सके । अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथा मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह पाया है कि तहसीलदार के हस्ताक्षरित इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है और ना ही भूमिस्वामी (अनावेदिका कमांक 1) के हस्ताक्षर कराए गए हैं तथा अनावेदिका कमांक–1 नामांतरण आदेश से संसूचित भी नहीं है । उक्त आधारों पर उन्होंने अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	